अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अजमेर

564/12/75 घीसा लाल बनाम मंदिर श्री चारभुजा

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	2012/00058 श्री सुरेश जैन श्री GAI...	
..6.19	घीसा लाल बनाम मंदिर श्री चारभुजा जी महाराज वगैरह पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली पर दिनांक 12.06.2019 को अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं विश्लेषण से पूर्णतः स्पष्ट है कि हस्तगत अपील मूलतः नायब तहसीलदार (द्वितीय),अजमेर द्वारा तस्दीक नामानतकरण संख्या 885 दिनांक 13.09.2007के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिससे अपीलांट का नाम खाता संख्या 306 के वर्तमान खसरा नम्बरान क्रमशः1179,1180,1183,1185,1184,1182 के बाबत् कलमजन करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 01 मंदिर श्री चारभुजा जी महाराज के नाम तस्दीक किए जाने के आदेश तहसीलदार मीटिंग दिनांक 01.09.2007की अनुपालना में प्रदान किए गए है। पत्रावली पर मौजूद राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग के पत्र क्रमांकःपः12(22)देव/91 दिनांक 0603.2003 एवं जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमांकःराजस्व/2004/वि0/1803 दिनांक 19.03.2004 मूल आदेश न होकर व्यापक एवं सामान्य दिशा निर्देश है जिनके विरूद्ध इस न्यायालय में अपील पोषणीय नहीं हैं मूल आदेश नामान्तकरण संख्या 885 दिनांक 13.09.2007 के होने से इसके विरूद्ध सुनवाई का क्षैत्राधिकार भू–राजस्व अधिनियम के तहत् इस न्यायालय को नहीं है क्योंकि नामान्तकरण के विरूद्ध प्रथम अपील के विरूद्ध चाराजोही के लिए भू–राजस्व अधिनियम 1956 में अलग व्यवस्था प्रदान की हुई है इसलिए यह अपील इस न्यायालय में पोषणीय एवं संधारण योग्य न होने से खारिज की जाती है तथा अपीलांट विवादित आराजी बाबत् अपने अधिकारों के लिए सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। 24/6/19 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	